राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

शिक्षा का अधिकार

फोन:– 2708739 E-mail: rajssa_cce@gmail.com फैक्स:– 5107388, 2701822

क्रमांक : रासाशिप/जय/सीसीई/2017-18/ 7118 दिनांक : 20/9/17

"एबीएल किट की सामग्री का विकास एवं सरलीकरण" बैठक प्रतिवेदन

दिनांक : 28 अगस्त, 2017

राज्य के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं चयनित आदर्श विद्यालयों की कक्षा 1 व 2 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ सृजनात्मक शिक्षण प्रक्रिया अपनाने के लिए राज्य में भारत सरकार द्वारा "गतिविधि आधारित अधिगम" (ABL) गतिविधि को गत सत्र की भाँति वर्तमान सत्र 2017–18 के लिए स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित किट का विकास, मुद्रण एवं विद्यालयों तक वितरण किया जाना है। इस बाबत गत सत्र में निर्मित की गई किट सामग्री के विकास एवं सरलीकरण किये जाने हेतु दिनांक 28 अगस्त, 2017 को परिषद कार्यालय के आदेश क्रमांक 4238 दिनांक 18.07.2017 की अनुपालना में बैठक का आयोजन डॉ० प्रियाबलराम शर्मा, उपायुक्त, सीसीई की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/ स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे –

क्र.सं.	उपस्थित अधिकारीगण	पद एवं पदस्थापन स्थान
1	डॉ० डी०डी० गौतम	उपनिदेशक, सीसीई / एलआईक्यूई, राप्राशिप जयपुर
2	श्री चंद्रप्रकाश गुप्ता	अतिशिअ, माशि, अलवर
3	श्रीमती संगीता कपूर	व०व्या०, डाइट गोनेर, जयपुर
4	श्रीमती मधु सिंह चौहान	अध्यापिका, राउप्रावि, अभयपुरी, जयपुर
5	श्री नन्द किशोर शर्मा	अध्यापक, एसआरजी सदस्य, निदेशालय प्रा०शि० बीकानेर
6	श्री भागचन्द शर्मा	अध्यापक, एसआरजी सदस्य, राउप्रावि, झारेड़ा, अलवर
7	श्री विमलेश कुमार पारीक	अध्यापक, एसआरजी सदस्य, राउमावि, ढिन्ढा, जयपुर
8	श्री मनस्वी गोयल	प्रतिनिधि, बीसीजी

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए –

- एसआईईआरटी, उदयपुर द्वारा कक्षा 1 एवं 2 हेतु निर्धारित लर्निंग आउटकम्स (अधिगम सम्प्राप्ति) के आधार पर एबीएल सामग्री में आवश्यक संशोधन किए जाएं।
- बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की यह आम सहमति बनी की सामग्री की एक रूपता बनाये रखने एवं शिक्षकों एवं शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त सुझावों के अनुसार सामग्री की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सामग्री की संख्या में आवश्यकता एवं विषयवस्तु अनुसार आंशिक परिवर्तन ही किया जाएगा।
- सत्र 2016–17 में प्रथम चरण के उत्कृष्ट विद्यालयों में से 2853 विद्यालयों में गतिविधि आधारित कक्ष का विकास एवं सामग्री पहुँचाई जा चुकी है। वार्षिक कार्य–योजना 2017–18 के अनुसार इस सत्र में शेष रहे 6778 उत्कृष्ट विद्यालयों एवं 1340 आदर्श विद्यालयों सहित 8118 विद्यालयों में एबीएल संचालन हेतु गतिविधि कक्ष विकसित करने एवं गतिविधि आधारित सामग्री (ABL Kit) दी जानी है। यदि उत्कृष्ट विद्यालयों के एकीकरण के पश्चात संख्या कम होती है तो एसआईईआरटी, निदेशालय एवं डाइट के 6–6 लैब विद्यालयों में भी गतिविधि आधारित कक्ष का विकास किए जाने पर सुझाव दिया गया। शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु आगामी शिक्षक प्रशिक्षण को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक ब्लॉक/बीआरसी कार्यालय पर प्रशिक्षणों में उपयोग हेतु एक–एक किट दिए जाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति बनी। इस प्रकार सत्र 2017–18 में किट मुद्रण की संख्यात्मक स्थिति निम्नानुसार रहेगी –

	स्वीकृत किट संख्या	अतिरिक्त किट संख्या	योग
उत्कृष्ट विद्यालय (2016–17 के अनुसार)	6778	0	6778
आदर्श विद्यालय	1340	0	1340
लैब विद्यालय उक्त के अतिरिक्त अनुमानित	0	80	80
ब्लॉक कार्यालय	0	302	302
निदेशालय, एसआईईआरटी, रमसाशिप, राप्राशिप	0	20	20
योग	8118	402	8520

नोट – वर्ष 2017–18 में शेष रहे उत्कृष्ट विद्यालयों की वास्तविक संख्या का निर्धारण गुणवत्ता प्रकोष्ठ से प्राप्त अद्यतन सूचना के आधार पर किया जाएगा।

www.rajteachers.com

- निदेशालय, एसआईईआरटी एवं डाइट संस्थाओं के लैब विद्यालयों, शिक्षक प्रशिक्षणों में उपयोग हेतु प्र बीआरसी कार्यालय तथा राज्य स्तर के कार्यालयों में उपयोग हेतु एबीएल किट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से संभावित 8520 अथवा गुणवत्ता प्रकोष्ठ से प्राप्त अद्यतन सूचना के आधार पर विद्यालयों हेतु गतिविधि आधारित किट (ABL) का मुद्रण करवाया जाना उचित होगा।
- SIQE/CCE के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने एवं एबीएल को प्रभावी बनाने के लिए गत वर्ष के 2853 उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 3 से 5 में गतिविधि किट सामग्री तैयार कर विद्यालयों को वितरित किए जाने का सुझाव दिया।
- कक्षा 3 से 5 हेतु एबीएल किट में होने वाले व्यय सत्र 2017–18 की कार्ययोजना के एलईपी मद में संभावित बचत से किए जाने का सुझाव दिया गया।
- किट में उपलब्ध सामग्री में बच्चों को और अधिक लिखित अभ्यास कार्य के अवसर प्रदान करने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास कार्य की सामग्री–वर्कशीट/वर्कबुक में और अधिक संख्या में कार्यपत्रक उपलब्ध करवाए जाए।
- उपस्थित सदस्यों एवं डाइट प्रतिनिधि के सुझाव के अनुसार राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने एवं एबीएल को प्रभावी बनाने के लिए बजट उपलब्धता के विश्लेषण पश्चात कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए भी गतिविधि आधारित किट सामग्री का विकास भी किया जाए।
- चयनित विद्यालयों में एबीएल कक्ष का विकास एवं विद्यालय में सामग्री पहुँच की रिपोर्ट एंट्री पोर्टल पर ऑन लाइन लेने का सुझाव दिया।
- एबीएल का विस्तार करते हुए विद्यालयों में गतिविधि आधारित किट के पहुँचाने का दायित्व जिला कार्यालय से ब्लॉक कार्यालय तथा ब्लॉक कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विद्यालय तक वितरित किया जाए।
- गतिविधि के प्रभावी संचालन हेतु राज्य/जिला/डाइट/ब्लॉक स्तर से समय–समय पर प्रभावी निरीक्षण/ अवलोकन / सम्बलन किया जाना अपेक्षित है।
- किट सामग्री की पैकिंग अलग–अलग विषयवार की जाए और तीनों विषयों की पैकिंग का एक बॉक्स बनाया जाए ताकि विद्यालयों में सामग्री के रख–रखाव में असुविधा ना हो।
- सामग्री में एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा दिए गए सुझावों पर बैठक में चर्चा की गई एवं इस हेतु कार्यशाला का आयोजन कर इन सुझावों के अनुसार सामग्री में आवश्यक बदलाव करने का सुझाव दिया।
- गणित की सामग्री वर्ग पहेली पर दिए गए संकेतों को पृष्ठ भाग पर अंकित करने का निर्णय लिया गया। अंक कार्डों को मल्टी कलर में मुद्रण करवाने का निर्णय लिया गया। इस सामग्री को फोल्डिंग एवं आयताकार आकार में प्रिन्ट किया जाए।
- दुकान के कार्डों में अंकित चित्रों को विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार संशोधित करने का सुझाव दिया गया।
- हिन्दी, गणित एवं अंग्रेजी में प्रयुक्त फ्लेश कार्डों का बच्चों के अनुरूप आकार रखने का सुझाव दिया।
- हिन्दी विषय में शब्द पट्टी, चकरी भी विकसित करने की सहमति बनी।
- अंग्रेजी विषय में प्रयुक्त क्लिष्ट शब्दों के स्थान पर सरल शब्द लिए जाए अथवा चार शब्दों के स्थान पर दो या तीन शब्द बना चयन कर सामग्री का निर्माण किया जाए।
- सामग्री की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष उपलब्ध करवाए गए चार सैटों के स्थान पर 3 सैट ही रखें जाए, जो पर्याप्त होंगे।
- सत्र 2016–17 में किट में रही आंशिक मुद्रण त्रुटि में आवश्यक सुधार /प्रूफ चैकिंग कर संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

- सत्र 2016–17 में मदवार किया गया व्यय विवरण

सत्र	कुल विद्यालय	चयनित उत्कृष्ट विद्यालय	आदर्श विद्यालय
2016-2017	2853	2853	0
सत्र 2016–17 की वार्षिक कार्ययोजना अनुसार बजट	2853	4090 = Rs. 4,01,98,770	

www.rajteachers.com

✓ सत्र 2016–17 में प्रति विद्यालय मदवार आवंटित सामग्री –

क्र. सं.	सामग्री	प्रति कार्य व्यय राशि	संख्या	कुल राशि	कार्य किस स्तर से किया जाना है
1	ABL किट	5000	प्रति विद्यालय 1 किट	5000	राज्यस्तर द्वारा निर्धारित, मुद्रण एवं वितरण कार्य निविदा / दर संविदा द्वारा आईटमवार स्वीकृत दरों के अनुसार वास्तविक व्यय के अनुसार कार्यादेश जारी किया गया।
एबीएल कक्षा को विकसित करने हेतु व्यय की गई अनुमानित राशि –					
2	डिस्प्ले बोर्ड (4'X3') (बच्चों के सृजनात्मक कार्यों को लगाने के लिए)	600	1	600	एसएमसी द्वारा
3	चौकी (4'X2.5'X1')	900	4	3600	एसएमसी द्वारा
4	कक्षा में पेंटिंग कार्य, बच्चों के स्तरानुरूप	तीन दीवार पर	-	4600	एसएमसी द्वारा
5	प्लास्टिक के ढक्कन वाले Box (18"X12") Activity Card रखने बाबत		4	200	एसएमसी द्वारा
कुल योग				14000	

✓ सत्र 2017–18 में मदवार व्यय की जाने वाली राशि का विवरण –

वर्ष	कुल विद्यालय	शेष रहे उत्कृष्ट विद्यालय	प्रथम चरण के आदर्श विद्यालय
2017-2018	8118	6778	1340
सत्र 2017–18 की वार्षिक कार्ययोजना अनुसार बजट	8118 X 20000 = Rs. 16,23,60,000		

✓ सत्र 2017–18 में प्रति विद्यालय मदवार आवंटित प्रस्तावित राशि –

क्रम	सामग्री	अनुमानित यूनिट कॉस्ट प्रति सामग्री	सामग्री की संख्या	अनुमानित कुल व्यय राशि	कार्य किस स्तर से किया जाना है
1	ABL किट	6400	1 per school	6700	राज्यस्तर द्वारा निर्धारित, मुद्रण एवं वितरण कार्य निविदा / दर संविदा द्वारा आईटमवार स्वीकृत दरों के अनुसार वास्तविक व्यय एवं कार्यादेश होगा।
एबीएल कक्ष को विकसित करने हेतु व्यय की जाने वाली संभावित व्यय राशि –					
2	डिस्प्ले बोर्ड (4' X 3')	1000	1	900	SMC
3	छोटी विद्यार्थी टेबल (चौकी) (4' X 2.5' X 1')	1000	4	4000	SMC
4	सामग्री एवं पोर्टफोलियो के लिए रैक	1200	1	1000	SMC
4	एबीएल कक्ष में वॉल पेंटिंग	3 sides	-	6000	SMC
5	गतिविधि सामग्री के लिए प्लास्टिक बॉक्स	-	4	400	SMC
6	स्टेशनरी सामग्री यथा पेपर, क्रेयान, पेंसिल, कटर, रबर, स्टेप्लर, पेन, चार्ट शीट इत्यादि।	-	-	1000	SMC
सर्व योग				20000	

नोट – 1) उक्त मदवार व्यय विवरण में आपस में आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जा सकता है।

2) एबीएल कार्यशाला में एबीएल सामग्री का सरलीकरण करते हुए सामग्री का विकास किया जाएगा। तत्पश्चात ही सामग्री मुद्रण एवं वितरण का कार्य स्वीकृत निविदा दरों द्वारा आईटमवार वास्तविक व्यय का निर्धारण करते हुए कार्यादेश जारी किया जाएगा।

3) किसी भी स्थिति में स्वीकृत राशि प्रति विद्यालय 20,000/– रुपये से अधिक का व्यय नहीं किया जाएगा।

गत सत्र में एबीएल कक्ष को विकसित करने में निर्धारित की गई राशि की कमी के कारण कक्ष विकास में आई कठिनाई को ध्यान में रखते हुए तथा वर्तमान समय में लागू जीएफएण्डएआर नियमों और एनसीईआरटी, नई दिल्ली द्वारा गुणवत्ता को सुधारने हेतु दिए गए सुझावों को मानते हुए सत्र 2017–18 में एबीएल कक्ष एवं सामग्री हेतु प्रति कक्ष हेतु स्वीकृत की गई कुल राशि 20,000/– रुपये के व्यय का निर्धारण किया गया है।

www.rajteachers.com

✓ **एसएमसी के दायित्व –**

- राशि का हस्तान्तरण जिला कार्यालय से ब्लॉक कार्यालय को किया जायेगा। तत्पश्चात ब्लॉक कार्यालय के सम्बन्धित विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी के खाते में राशि का हस्तान्तरण किया जायेगा। इस राशि का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्ताव लेकर विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार किया जाना है।
- एडीपीसी, एसएसए द्वारा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले आदर्श विद्यालयों को दी जाने वाली राशि की गणना करते हुए एक मुश्त जिला परियोजना कार्यालय, रमसा को हस्तारण करेंगे।
- आवंटित कुल बजट में से आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा गतिविधि किट के अन्तर्गत बच्चों की उपयोगिता एवं आवश्यकता के आधार पर सामग्री यथा कागज रिम, कार्ड शीट, कलर पेपर, क्रेयोन्स, स्केच पेन, पोर्ट फोलियो फाईल, पेन्सिल, रबर, धागे का एक रोल इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु क्रय किये जावे। क्रय की गई सामग्री की विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर उपयोग में लेनी है।
- उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालय को तथा ब्लॉक से समेकित कर जिला कार्यालय को तथा जिला कार्यालय एसएसए एवं रमसा द्वारा एकत्रित उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि जारी करने के एक माह पश्चात आवश्यक रूप से परिषद मुख्यालय को अनिवार्यतः प्रेषित करना है।

बैठक में दिए गए सुझावों के अनुसार शीघ्र ही कार्यशाला का आयोजन कर सामग्री का आवश्यकतानुसार सरलीकरण किया जाना अपेक्षित है, जिससे निर्धारित समय सीमा में सामग्री मुद्रण करवाकर विद्यालयों को शीघ्र उपलब्ध करवाई जा सके।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(डॉ० प्रियाबलराम शर्मा)
उपायुक्त, सीसीई / एबीएल

क्रमांक: राप्राशिप/जय/प्रशिक्षण/2016–17/ 7119 दिनांक: 20/9/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप / रामाशिप, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप / रामाशिप, जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राज० बीकानेर।
4. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
5. जिला परियोजना समन्वयक, अलवर, भरतपुर, जयपुर।
6. यूनिसेफ, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(डॉ० डी.डी.गौतम)
उपनिदेशक सीसीई / एबीएल

www.rajteachers.com